भारतीय संविधान पर एक नजर

भारतीय संविधान

भाग	विवरण	अनुच्छेद
I	संघ और उसका राज्य क्षेत्र	1 से 4
II	नागरिकता	5 से 11
III	मौलिक अधिकार	12 से 35
IV	राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व	36से51
IV ए	मौलिक कर्त्तव्य	51 क
V	संघ सरकार	52 से 151
	अध्याय-1- कार्यपालिका	52 से 78
	अध्याय-2- संसद	79 से 122
	अध्याय-3- राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ	123
	अध्याय-4- संघ की न्यायपालिका	124 से 147
	अध्याय-5- भारत का नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक	148 से 151
VI	राज्य सरकारें	152-237
	अध्याय-1- साधारण	152
	अध्याय-2- कार्यपालिका	153 से 167
	अध्याय-3- राज्य का विधानमण्डल	168 से 212
	अध्याय-4- राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ	213
	अध्याय-5- राज्यों के उच्च न्यायालय	214 से 232
	अध्याय-6- अधीनस्थ न्यायालय	233 से 237
VII	निरसित	238
VIII	संघ राज्य क्षेत्र	239 से 242
IX	पंचायतें	243 से 243 ण
IX ए	नगरपालिकाएँ	243 त से 243 य छ
IX बी	सहकारी समितियाँ	243 य ज से 243 य न
X	अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र	244 से 244क
XI	संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध	245 से 263
	अध्याय-1- विधायी सम्बन्ध	245 से 255
	अध्याय- 2- प्रशासनिक सम्बन्ध	256 से 263
XII	वित्त, सम्पत्ति, संविदायें और वाद	264 से 300 ए
	अध्याय-1- वित्त	264 से 291
	अध्याय-1- ऋण लेना	292 से 293
	अध्याय-3- सम्पत्ति, संविदाएँ, अधिकार, बाध्यताएँ और वाद	294 से 300
	अध्याय-4- सम्पत्ति का अधिकार	300-क
XIII	भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम	301 से 307
XIV	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ	308 से 323
	अध्याय-1- सेवाएँ	308 से 314
	अध्याय-2- लोक सेवा आयोग	315 से 323

XIV क	प्रशासनिक अधिकरण	323-क से 323-ख
XV	निर्वाचन	324 से 329-क
XVI	अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल-भारतियों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध	330-342
XVII	राजभाषा	343 से 351
	अध्याय-1- संघ की भाषा	343 से 351
	अध्याय-2-प्रादेशिक भाषाएँ	345 से 347
	अध्याय-3- सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा	348 से 349
	अध्याय-4- विशेष निर्देश	350 से 351
XVIII	आपात उपबन्ध	352 से 360
XIX	प्रकीर्ण	361 से 367
XX	संविधान का संशोधन	368
XXI	अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबन्ध	369 से 392
XXII	संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन	393 से 395

टिप्पणी भाग-7 (भाग-ख राज्यों से सम्बन्धि) को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, (1956) द्वारा विलोपित कर दिया गया था। दूसरी ओर, भाग 4क तथा भाग 14क दोनों का समावेश 42वें संविधान संसोधन अधिनियम, (1976) द्वारा किया गया है, जबकि भाग 9क का समावेश 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992), भाग 9ख का समावेश 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा किया गया है।

क्र.सं.	विषय	सम्बद्ध अनुच्छेद
प्रथम अनुसूची	1. राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएँ 2. नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना	1 एवं 4
दूसरी अनुसूची	1. भारत के राष्ट्रपति 2. राज्यों के राज्यपाल 3. लोकसभा के सभापति और उपाध्यक्ष 4. राज्यसभा के सभापति और उप-सभापति 5. राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 6. राज्य विधान परिषदों के सभापति और उप-सभापति 7. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 8. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 9. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के वेतन भत्तों के बारे में उपबंध	59,65,75,97,125,148, 158,164,186 एवं 221
तीसरी अनुसूची	इसमें विभिन्न उम्मीद्वारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं ये उम्मीद्वार हैं- 1. संघ के मन्त्री 2. संसद के सदस्य 3. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 4. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक 5. राज्य मन्त्री 6. राज्य विधानमण्डल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यार्थी 7. राज्य विधानमण्डल के सदस्य 8. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश	75,84,99,124,148, 164,173, 188 एव 219
चौथी अनुसूची	राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन	4 एवं 80
पाँचवीं अनुसूची	अनुसूचित और जनजातिय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियन्त्रण के बारे में उपबन्ध	244
छठी अनुसूची	असोम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातिय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबन्ध	244 एवं 275
सातवीं अनुसूची	संघ सूची (मूल रूप से 97 फिलहाल 100 विषय), राज्य सूची (मूल रूप	246

	से 66 फिलहाल 61 विषय) तथा समवर्ती सूची (मूल रूप से 47, फिलहाल 52 विषय) के सन्दर्भ में राज्य और केन्द्र के मध्य शक्तियों का विभाजन	
आठवीं अनुसूची	संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएँ (मूल रूप से 14 फिलहाल 22)। ये भाषाएँ हैं- असमिया, बाँग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगू तथा उर्दू, सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।	344 एवं 351
नवीं अनुसूची	भू-सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से सम्बन्धित राज्य विधानमण्डलों और अन्य मामलों से सम्बन्धित संसद के अधिनियम और विनियम (मूलतः 13 परन्तु वर्तमान में 282)। इस अनुसूची को पहले संशोधन (1951) द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक संविक्षा से इसमें सम्मिलित कानूनों से इसे बचाने के लिए जोड़ा गया था। तथापि वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल, 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।	31-ख
दसवीं अनुसूची	दल-बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता के बारे में उपबन्ध, इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनिमय, 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसे दल-परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है।	102 एवं 191
ग्यारहवीं अनुसूची	पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार व जिम्मेदारियाँ। इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया।	243-छ
बारहवीं अनुसूची	नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार व जिम्मेदारियाँ। इसमें 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया।	243-ब

भारतीय संविधान : संविधान सभा, प्रस्तावना, विशेषताएँ

संविधान सभा

- संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को '**संविधान सभा**' की संज्ञा दी जाती है।
- विश्व में संविधान सभा का विचार देने वाला व्यक्ति ब्रिटेन का राजनीतिक विचारक **सर हेनरी मेन** था।
- **विश्व में सर्वप्रथम** संविधान सभा **सन् 1787** में **अमेरिका** के **फिलाडेल्फिया** में बनायी गयी। जहां **13 राज्यों** के प्रतिनिधि मिलकर अमेरिका का **संविधान** तैयार किया।
- भारत में संविधान सभा राष्ट्रीय आन्दोलन की मांग थी।
- भारत में संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार **सन् 1895** में **स्वराज्य विधेयक** में व्यक्त हुआ। जिसे **तिलक** के निर्देशन में तैयार किया गया था।
- सन् 1922 में महात्मा गांधी ने यह घोषणा की कि "**भारत का राजनीतिक भविष्य स्वयं भारतवासी तैयार करेंगे।**"
- **सन् 1928** में **मोतीलाल नेहरू** की अध्यक्षता में संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। यह **नेहरू प्रतिवेदन** के रूप में लोकप्रिय हुआ।
- संविधान सभा के विचार का **औपचारिक प्रतिपादन एम.एन.राय** (1934) ने किया। तथा इस विचार को लोकप्रिय बनाने का कार्य जवाहरलाल नेहरू ने किया। सन् 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया।
- प्रारम्भ में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का विरोध किया। किन्तु **1940** में **पाकिस्तान प्रस्ताव** के प्रतिपादन के साथ ही दो पृथक संविधान सभा की मांग प्रारम्भ कर दी।

मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार अलग **पाकिस्तान** देश के निर्माण का **प्रस्ताव** पारित किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना- "हिन्दू एवं इस्लाम न केवल दो धर्म है वरन् दो अलग-अलग राष्ट्रीयताएं हैं।" पाकिस्तान शब्द की परिकल्पना चौधरी रहमत अली ने दी।

- **अगस्त 1940** में वायसराय **लार्ड लिनलिथगो** द्वारा प्रस्तुत '**अगस्त प्रस्ताव**' में ब्रिटिश सरकार की ओर से पहली बार संविधान सभा की बात को स्वीकार किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अगस्त प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था।